# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चन्देल निवासी अम्बिका चौक, जल चक्की, कॉकरोली, जिला राजसमन्द
**— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
**— प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा**— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 42/2019**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 07.11.2019**<br><br>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/762–64 दिनांक 5.11.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 30.07.2019 को अन्तरण प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 05 तक मे से बिन्दु संख्या 04 व 05 की सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/568–70 दिनांक 30.07.2019 को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित गया। साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 में वर्णित पत्रांक से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वह कार्यालय के किस अनुभाग से संबंधित है एवं उक्त पत्रांक 20 से 25 वर्ष पूर्व के है जिसे कार्यालय के विभिन्न अनुभागो में आर.टी.आई की धारा 7(9) के तहत खोजा जाना भी संभव नहीं होने से प्रार्थी अपीलार्थी से बिन्दु संख्या 01 से 03 में वर्णित पत्रांको का ब्योरा स्पष्ट रूप से देवे ( या वर्णित पत्रांको की प्रतियॉ ) ताकि उक्त बिन्दुओं के संबंध में पूर्ण समीक्षा कर संबंधीत अनुभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना तक पहुॅच बनाई जा सके आदि के संबंध में प्रार्थी अपीलार्थी को लिखा गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2019/568–70 दिनांक 30.07.2019 की पालना में दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर बिन्दु संख्या 01 व 03 के सबंध में पत्रादि एवं ब्यौरा प्रस्तुत करने पर बिन्दु संख्या 01 व 03 का सबंध में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग की होने से जरिये पत्रांक प. 1( )सू0अ0,05/2019/581–83 दिनांक 05.08.2019 को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने प्रेषित गया। साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02 के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08 | |

2019 में बिंन्दु संख्या 01 से 03 के बारे में ही उल्लेखित किया गया है बिन्दु संख्या 02 के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया बिन्दु संख्या 02 के संबंध उल्लेख करे आदि के संबंध में प्रार्थी अपीलार्थी को लिखा गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक प.1( )/राजस्व /सू0अ0,05/2019/2419 दिनांक 27.08.2019 से आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 04 व 05 के संबंध में लिखा गया कि प्रश्नगत बिन्दु संख्या 04 व 05 का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 04 21 वर्षो की एवं बिन्दु संख्या 05 में 27 वर्षो की है, उक्त चाही गई सूचना अत्यन्त विस्तृत सूचना है जिसे देने में कार्यालय के संसाधनो का अनुपातिक रूप से परिवर्तित सुरक्षा एवं परिक्षण में पूर्ण रूप से प्रतिकुल प्रभाव पडेगा। चाही गई सूचनाओं तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं, सूचना को खोजना प्रश्नों के उत्तर देना इस प्रकार की विस्तृत सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(9) के प्रावधानुसार इसका वर्जन (अदेय है) किया गया है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02 के संबंध में कोई ब्यौरा, उल्लेख आदि प्रस्तुत नहीं करने पर पुनः इस अनुभाग के पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2019/646–47 दिनांक 28.08.2019 से लिखा गया किन्तु किसी प्रकार का प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग से प्रार्थी के आरटीआई के बिन्दु संख्या 01 व 03 की कोई सूचना प्राप्त नहीं होने एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का आप श्रीमान के यहा से नोटिस प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग को स्मरण पत्र लिखा गया। प्रभारी अधिकारी स्थापना ने जरिये पत्रांक प. 1(सी)14(7)स्था./आरटीआई/17/4478 दिनांक 04.11.2019 से बिन्दु संख्या 01 व 03 के सबंध में लिखा गया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा श्री नाथुलाल दाधीच, वरिष्ठ सहायक से संबंधित सूचना चाही गई इस क्रम में प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे आरटीआई लगने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि मेरे विरुद्ध भविष्य में लगने वाली मेरे से संबंधीत आरटीआई में मुझे भी सुना जावें। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1926 दिनांक 19.08.2019 द्वारा उक्त आरटीआई आवेदन के बिन्दुओं पर टिप्पणी चाही गई। श्री दाधीच द्वारा दिनांक 04.11.2019 के द्वारा जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत कर अवगत किया गया कि कार्मिक के सेवा अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों की आरटीआई के तहत चाहे गये दस्तावेजों बाबत् आवेदक श्री चन्देल द्वारा की गई अपील राजस्थान सूचना आयेग जयपुर द्वारा अपील संख्या 5362/2013 निर्णय दिनांक 16.11.2015 द्वारा खारिज की जा चुकी है। फलस्वरूप प्रकरण में उक्त पारित निर्णय की अनुपालना में कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं रहती है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया व अपीलार्थी को सुना गया। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1926 दिनांक 19.08.2019 द्वारा उक्त आरटीआई आवेदन के बिन्दुओं पर टिप्पणी चाही गई। श्री दाधीच द्वारा दिनांक 04.11.2019 के द्वारा जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत कर अवगत किया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई उक्त सभी सूचना पूर्व में भी दिनांक 09.05.2013 को चाही गई थी ततसमय भी नियम 8(य) में वर्णित प्रावधानो के आधार पर निजात का उल्लंघन होने का निवेदन किया गया था। तत्पश्चात आवेदक द्वारा प्रकरण में अपील की

A.

गई जो अन्तिमतः आवेदक श्री चन्देल द्वारा की गई अपील राजस्थान राज्य सूचना आयेग जयपुर द्वारा अपील संख्या 5362/2013 छगनलाल चंदेल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.11.2015 में निजी सूचना जिसके प्रकटन में कोई लोकहीत निहीत नही हो दिया जाना विधिक बाध्यता नही हैं। इस आलोक में अपील निर्बल व निरस्तनीय हैं। अस्तु अपील उपरोक्तानुसार खारिज की जा चुकी है। किन्तु 04 वर्ष बाद आवेदक द्वारा पुनः इस प्रकार की सूचना चाही गई हैं। फलस्वरूप प्रकरण में उक्त पारित निर्णय की अनुपालना में कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं रहती है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द के कार्यालय के विभिन्न पत्रांको व कार्मिक विभाग के जवाब एवं राज्य सूचना आयोग जयपुर के निर्णय दिनांक 16.11.2015, अपील संख्या 5362/2013 छगनलाल चंदेल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पूर्व में दिनांक 09.03.2013 को आवेदन पेश किया था जिसे अस्वीकार करने पर सूचना आयुक्त द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अपील खारिज करते हुए अपीलार्थी छगनलाल चंदेल को सूचना प्रदत नही कराई गई हैं। अपीलार्थी ने इन तथ्यों को छुपाकर पुनः उसी सूचना के लिए आवेदन पेश किया हैं। जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं। पूर्व में पारित अपीलीय न्यायालय राज्य सूचना आयोग के निर्णय से न केवल अपीलार्थी बल्कि यह न्यायालय भी बाधित हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से इसी स्टेज पर निरस्त कर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द